8/6/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार शिविर देवखेड़ा में पेश हुई। पक्षकार हाजिर, पत्रावली का अवलोकन किया एवं सुनवाई की गयी। यह दावा बटवारे का है। बटवारे हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। विवादित कागजों का बटवारा करना उचित समझते हैं। मौके पर ही पटवारी हल्का से कुरेवार प्रस्ताव तैयार कराये गये। जिन पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं हुई। अतः इस दावा वादीगण मुताबिक कुरेवार प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताबिक कुरेवार प्रस्ताव इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वादी रामलाल पुत्र लेखराज के हिस्से में आ.ख.नं. 5821 पश्चिम दिशा रकबा 0 बीघा 10 बिस्वा भूमि रहेगी जो SBBJ शाखा राजाखेड़ा में रहन दर्ज रहेगी। वादी सं 2 जवाहरसिंह एवं प्रतिवादी सं 4, 5 व 6 ~~जवाहरसिंह~~ मुरारीलाल, सुल्तान सिंह, सुरेश चन्द पुत्रगण जगन्नाथ कौम बाह्मण सा. देह के संयुक्त हिस्से में आ.ख.नं. 5822 पश्चिम दिशा में दूसरा रकबा 0 बीघा 10 बिस्वा भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी लाखनसिंह पुत्र मातादीन व गुड्डी पत्नी मातादीन हि. बराबर 1/2 जनकसिंह पुत्र सिरोंधीलाल हि. 1/4 कौम बघेल सा. देह एवं गोकुलसिंह पुत्र मातप्रसाद हि. 1/4 कौम बाह्मण सा. देह के संयुक्त हिस्से में ~~रकबा~~ आ.ख.नं. 5823 पूरब दिशा में दूसरा रकबा 0 बीघा 09 बिस्वा रहेगी तथा प्रतिवादी शरनसिंह पुत्र लेखराज हि. 0.076/6 कौम बाह्मण सा. देह एवं मोतीदेवी पत्नी चन्दनसिंह हि. 1/6, कमलेश पत्नी परषोत्तम, सावित्री पत्नी हरीशंकर हि.व. 4.924/6 कौम राजपूत सा. देह के संयुक्त हिस्से में आ.ख.नं. 5824 पूरब दिशा रकबा 0 बीघा 10 बिस्वा भूमि रहेगी। उपरोक्त समस्त आराजी ग्राम गढ़ी जौनापुर तहसील राजाखेड़ा में स्थित है। उपरोक्तानुसार पक्षकारान के

खण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक नाम अमल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]